संख्या-43/2018-1424/58-2018-346/2016

प्रेषक,

आर0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांक 28 जून, 2018**

विषयः **विभाग में 02 निष्प्रयोज्य वाहनों के प्रतिस्थापन हेतु धनराशि रू0-14.12 लाख को अवमुक्त किये जाने तथा उक्त वाहनों के क्रय की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-52/बजट/2018-19, दिनांक 23.05.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-001-निदेशन तथा प्रशासन-05-जिला व मण्डलीय कार्यालय के मानक मद-14-मोटर गाड़ियों के क्रय में प्राविधानित धनराशि रू0-15.22 लाख में से धनराशि रू0-14.12 लाख को आपके निवर्तन पर रखे जाने के श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है :-

2- आपके उक्त पत्र में बताये गये विवरण के अनुसार विभाग में निष्प्रयोज्य हुए वाहनों के स्थान पर दो बुलैरो "ZLX पावर +" के क्रय की अनुमति प्रदान करते हुए उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय करने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रश्नगत मोटर गाड़ियों को क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा :-

(1) प्रतिस्थापन स्वरूप क्रय किये जाने वाले वाहन का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-2 के संगत शासनादेश में निर्धारित सीमा/धनराशि के अन्तर्गत किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत वाहन का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 के नये जेम पोर्टल के अनुसार सूक्ष्य, लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(3) वाहन के क्रय के संबंध में परिवहन विभाग के संगत शासनादेश में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वाहन की नीलामी की धनराशि राज्य कोष के निर्धारित मद में जमा कर दी गयी है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है।

(5) प्रश्नगत धनराशि का व्यय केवल प्रतिस्थापन स्वरूप वाहन क्रय मद में किया जायेगा किसी अन्य मद में किया गया व्यय अनुमन्य न होगा।

(6) वाहन हेतु अनुमन्य धनराशि/स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि वाहन के संदर्भ में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से वाहन क्रय न किया गया हो अर्थात इसकी द्विरावृत्ति न हो।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के अनुदान सं0-10 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-001-निदेशन तथा प्रशासन-05-जिला व मण्डलीय कार्यालय के मानक मद-14-मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(आर0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-43/2018-1424(1)/58-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
(2) वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0शासन।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in